

24/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी अर्न  
इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 3/1/24  
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चक्रपूर (दि. 4/1/24)

3/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी अर्न  
इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 22/1/24  
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चक्रपूर (दि. 2/2/24)

22/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी व अर्जुन  
3, 4, 5 की ओर से रामेश्वर - चौधरी ए. ए. पीर  
शेष अपात्रीण को सम्मन पत्रों के साथ  
साथ से आदि के साथ ही प्रकाश है। सम्मन अर्जुन  
तामिल लोक प्रदा नहीं हुए। अतः तामिल सम्मन  
गानी जाती हैं।

सम्मन तामिल के उपरान्त अपात्रीण 1)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ए. ए. पीर नहीं। अतः इनके विरुद्ध  
ए. ए. पीर का प्रयास गी जाती है। अर्जुन से 3, 4, 5  
6 का जवाब केंद्र दिया जाता है।

कहाल उम्हपत्तो 1)  
जुने के उपरान्त ए. ए. पीर हैं कि जर्जी व अर्जुन  
पदव्यतिरेक हैं 4 वास्तविक अतः का विधिवत  
विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद की कटुता को  
रुझने एवं वाद की विषय-वास्तु के कारण  
रुझने के लिए ज. ए. पीर के कारण 1) 2) 3) उम्हपत्तो  
अति पर उम्हपत्तो को वास्तविकता को के भी  
प्रभावित बनाए रखने हेतु पाबंद किया  
जाता है।

पत्रावली के लिए शुक्र 4/2/24  
दि. नम्बर 100 है।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड, चक्रपूर (दि. 4/2/24)